संख्या-713/एक-10-2020-33(06)/2020

प्रेषक ,

21·10·2020

संजय गोयल,
सचिव,
उ 0 प्र 0 शासन।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः अक्टूबर, 2020

विषयः-कोविड-19 के वायरस के संक्रमण से स्व 0 अशोक कुमार पुष्कर पुत्र सरनाम सिंह, अवर अभियन्ता, विद्युत विभाग, अलीगढ़ की ड्यूटी के दौरान मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र सं0-3066/दै0 आ 0 सहायक-कोविड-19 -महामारी-2020-21, दिनांक 12.10.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि मृतक अशोक कुमार पुष्कर, अवर अभियन्ता, 33/11 के0 वी0 उपकेन्द्र कासिमपुर, तेहरा मोड, अलीगढ़ में तैनात थे। दिनांक 29.08.2020 को कोविड-19 की जांच करायी गयी, जांच पॉजीटिव आने पर दिनांक 01.09.2020 को मेदान्ता हॉस्पीटल, गुरूग्राम हरियाणा में भर्ती हुए। इलाज के दौरान दिनांक 07.09.2020 को उनकी मृत्यु हो गयी, जिन्हें कोरोना वायरस (कोविड-19) की संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए शासनादेश सं0-249/एक-11-2020-04(जी)/2015-टी0 सी0, दिनांक 11.04.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में रू0 50,00,000/- (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जिलाधिकारी, अलीगढ़ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिंनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का

निर्धारण करना तद्नुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदपयोग सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजकता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट ीजजचेरूध्ध्तंींजण्नचण्दपबण्पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/ अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे

वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by संजय गोयल
Date:Wed Oct 21 16:26:29 IST 2020
Reason: Approved

(संजय गोयल)

सचिव।

संख्या-713(1)/एक-10-2020-33(06)/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ 0 प्र 0 प्रयागराज।

2- मण्डलायुक्त, अलीगढ़ मण्डल, उ 0 प्र 0।

3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ 0 प्र 0।

5- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, अलीगढ़, उ 0 प्र 0।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-23/10/2020

प्रेषण संख्या:- 713
आवंटन आदेश संख्या:- 173-33
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 107642000	5000000 107642000
	योग	वर्तमान प्रगामी	5000000 107642000	5000000 107642000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचास लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ छिहत्तर लाख बयालीस हजार

(उमेश कुमार उपाध्याय)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं
राहत आयुक्त
उ०प्र० शासन